भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1149

दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघों का अभ्यावेदन

1149. श्री रमेश चन्द्र माझी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता संघों की ओर से सुरक्षा, बीमा, जोखिम भत्ता और निश्चित वेतन आदि की मांग सम्बंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विभागों से संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इनके लिए समान सुविधाओं की सिफारिश की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : सरकार को छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) : श्रम संबंधी स्थायी समिति ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर अपनी 25वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि विधेयक के तहत प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा के लाभ उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रदान किए जाएं, जो संगठित या असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा कानूनों के तहत शामिल नहीं हैं।

(ग) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अवैतनिक कार्यकर्ता होने के नाते सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने 01.10.2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4 ,500/- रुपये प्रतिमाह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2,250/-रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रतिमाह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/-रुपये प्रतिमाह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रतिमाह के निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की शुरूआत की है। इसके अलावा, 01.04.2021 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500/-रुपये प्रतिमाह के निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इन कार्यकर्ताओं को अपने निजी संसाधनों से अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहनों/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(18 से 50 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये की जीवन सुरक्षा); प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(18 से 59 वर्ष के आयु समूह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी/पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2.00 लाख रुपये और आंशिक किंतु स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1.00 लाख रुपये); और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना(51 से 59 वर्ष के आयु समूह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 30,000/-रुपये का जीवन बीमा(समूह को 01.06.2017 को बंद कर दिया गया है) में शामिल किया गया है।

कोविड-19 संबंधित कार्यों में नियोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को कवरेज के लिए निर्धारित निश्चित शर्तों को पूरा करने के अधीन 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया है।

साथ ही, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर निश्चित मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन(पीएम-एसवाईएम) पैंशन स्कीम के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है।

*****